न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/34/2020	02–07–2020	18–11–2020

01–श्रीमती फरिश्ता बेवा रणवीर सिंह जाति अहीर निवासी महाराजावास तहसील बहरोड अलवर। अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर बहरोड तहसील व जिला अलवर रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 03–03–2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 52/20

उपस्थितः–

01. श्री नरेश चौधरी –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 03–03–2020 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना के आराजी खसरा नम्बर 2049 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह बारानी से बेदखल करने एवं 9/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1709 हाल नम्बर 2048 रकबा रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम महाराजाराम तहसील बहरोड जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के ससुर केहर सिंह व चाचा ससुर दशरथ सिंह व रामसिंह को दिनांक 27.11.1984 को फरोख्त कर दिया व कब्जा दे दिया। खसरा नम्बरान का मौजूदा में हाल नम्बर 2048 रकबा 0.1100 है0, 2049 रकबा 0.200 है0 बने है, हाल खसरा नम्बर 2048 में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा है। जो आराजी हमारे खातेदारों की है व 2049 गैर मुमकिन चाह है। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 2049 में अरसे दराज बुजुर्गाना समय से कब्जा चला आ रहा है व मौके पर गुवाडा बना हुआ है। विवादित आराजी पर कोई काश्त नहीं होती है। हल्का पटवारी ने गलत तरीके से रिपोर्ट की है अपीलान्ट ने आराजी 2049 पर कब्जा संवत 2076 में नहीं किया बल्कि अपीलान्ट का कब्जा आराजी मुतनाजा पर अरसे दराज बुजुर्गानही समय से बिला किसी रोक टोक के चला आ रहा है। अपीलान्ट के पति फौजी थे उनका स्वर्गवास हो गया है व अपीलान्ट बेवा है व सीनियर सिटिजन है। अपीलाधीन

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी गैर मुमकिन चाह बारानी की है। गै0मु0चाह बारानी पर चारदीवारी लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलान्ट ने मौके पर अवैद्य रूप से गै0मु0चाह की भूमि पर निर्माण कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1709 हाल नम्बर 2048 रकबा रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम महाराजाराम तहसील बहरोड जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के ससुर केहर सिंह व चाचा ससुर दशरथ सिंह व रामसिंह को दिनांक 27.11.1984 को फरोख्त कर दिया व कब्जा दे दिया। खसरा नम्बरान का मौजूदा में हाल नम्बर 2048 रकबा 0.1100 है0, 2049 रकबा 0.200 है0 बने है, हाल खसरा नम्बर 2048 में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा है। जो आराजी हमारे खातेदारों की है व 2049 गैर मुमकिन चाह है। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 2049 में अरसे दराज बुजुर्गाना समय से कब्जा चला आ रहा है व मौके पर गुवाडा बना हुआ है। मौका देखें बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चाह बारानी दर्ज है उसके आधार पर अपना अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। जब विवादित आराजी वर्तमान में गैर मुमकिन चाह बारानी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो आराजी पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। विवादित आराजी गैर मुमकिन चाह बारानी की है और अपीलान्ट को गैर मुमकिन चाह बारानी की आराजी पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर नायब तहसीलदार बहरोड जिला अलवर का आदेश दिनांक 03–03–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर